

- 10/3 सम्पतलाल पुत्र जयराम
 11. रामेश्वरी पत्नि धन्ना पुत्री रुघा (कौल)
 12. रामदेव पुत्र धन्ना पुत्र रुघा (कौल)
 13. भंवरलाल उर्फ स्याना पुत्र जीवण पौत्र अमरा
 14. मीठू उर्फ जागीरदार पुत्र जीवन पौत्र अमरा
 15. छोटू पुत्र जीवन पौत्र अमरा
 16. ओमप्रकाश पुत्र जीवन पौत्र अमरा
 17. भंवरी पत्नि जीवन पुत्रवधु अमरा (कौल)
 18. भगवान पुत्र अमरा (मृतक) जरिये वारिसान :-
 18/1 रूपचंद पुत्र भगवान
 18/2 नेमीचंद पुत्र भगवान
 19. हंसराज पुत्र अमरा (कौल)
 20. राऊ पुत्र अमरा (कौल)
 जाति माली, निवासी बांसेली (डेर) तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
 21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी, पुष्कर।

-- रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर दिनांक 31.7.2003 जो कि वाद संख्या 29/2003 में पारित की गई।

मान्यवर,

अपीलांट्स का निम्न निवेदन है:-

इस अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 21 के विरुद्ध विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही जाति खानदान से सम्बंधित हैं तथा पक्षकारान की ग्राम बांसेली में संयुक्त खातेदारी में अंकित भूमि

[Handwritten Signature]